

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।  
पीठासीन अधिकारी-सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1065 सन 2026  
CNR. No.UPSP010032412026

आशु उर्फ आस मौहम्मद पुत्र बुद्धू उर्फ ताहसीन, निवासी मौहल्ला फौलादपुरा, सांपला रोड, माजिद की कोठी कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त ।

बनाम

उ०प्र० राज्य ।

.....विपक्षी ।

मु.अ.सं. 157/2026

धारा 109(1) बी.एन.एस

व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर ।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

18.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त आशु उर्फ आस मौहम्मद की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 04.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमति अफसा पत्नी आस मौहम्मद का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2026 को वादी/उपनिरीक्षक अजब सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा दौरान चैकिंग व गस्त तल्हेडी खुर्द ग्राम की तरफ से आती एक मोटरसाईकिल को रोकना का इशारा करने पर मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया, जिसमें पुलिस बल बाल-बाल बचा तथा पुलिस द्वारा बदमाशों को ललकारते हुए, आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी, और एक बदमाश को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। पकड़े गए बदमाश से नाम व पता पूछते हुए, जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम आशु उर्फ आस मौहम्मद पुत्र बुद्धू उर्फ ताहसीन बताया। इसकी जामा तलाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुए। मौके से फरार व्यक्ति का नाम दानिश पुत्र नबी बताया। बदमाश से मोटरसाईकिल के कागजात तलब किए गए तो दिखाने में कासिर रहा। मौके से बरामद तमंचे व कारतूस एवं मोटरसाईकिल को सील सर्वे मोहर कर फर्द तैयार की गयी तथा उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि वह निर्दोष हैं और उसे मुकदमा उपरोक्त में रंजिश के आधार पर झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी का उपरोक्त घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नहीं है। कथित घटना में किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। प्रार्थी दिनांक 04.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने तथा आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद एवं उक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले में

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। केस डायरी पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया जाना अभिकथित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त कथित गिरफ्तारी एवं उसके कब्जे से कथित बरामदगी का बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभिकथित नहीं है। केस डायरी के अवलोकन से कथित घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना दर्शित नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

### आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आशु उर्फ आस मौहम्मद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/-रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. उपरोक्त मामले की प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा  
उपरोक्त शर्तों के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांक:-18.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)  
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।  
J.O. CODE- UP 1891